उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-25/2022/1836/तीस-4-2022
लखनऊः दिनांकः 23 दिसम्बर, 2022

अधिसूचना

मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1988) की धारा 68 की उपधारा (3) के खण्ड (ग-क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में दिये गये 17 मार्गों पर मंजिली गाड़ी चलाने का निश्चय करती हैं :-

अनुसूची

क्र0 सं0	मार्ग का नाम	मार्ग कोड	रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आर.आर.टी.एस.) स्टेशन	दूरी (कि0मी0)
1	लोनी-साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मार्ग	SHB01	साहिबाबाद	10.2
2	हिण्डन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल - साहिबाबाद रेलवे स्टेशन मार्ग	SHB01A	साहिबाबाद	7.6
3	लोनी -मोहननगर मार्ग	SHB02	साहिबाबाद	12.2
4	हिण्डन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल - मोहननगर मार्ग	SHB02A	साहिबाबाद	9.5
5	नोयडा सेक्टर-62 एमआरटीएस - वसुन्धरा वाया सीआईएसएफ मार्ग	SHB03	साहिबाबाद	5.3
6	नोयडा सै0-62 एमआरटीएस - वसुन्धरा वाया आदित्य मॉल मार्ग	SHB03A	साहिबाबाद	7.8
7	यूपी गेट-साहिबाबाद मण्डी मार्ग	SHB04	साहिबाबाद	6.3
8	यूपी गेट-वसुन्धरा मार्ग	SHB05	साहिबाबाद	7.7
9	कौशाम्बी बस टर्मिनल-साहिबाबाद इण्डस्ट्रियल एरिया मार्ग	SHB06	साहिबाबाद	5.9
10	वेव सिटी-एएलटी सेन्टर मार्ग	GLD01	गुलधर	10.00
11	डासना-एएलटी सेन्टर मार्ग	GLD02	गुलधर	11.5

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

12	गोविन्दपुरम्-एएलटी सेन्टर मार्ग	GLD02A	गुलधर	9.4
13	गाजियाबाद रेलवे स्टेशन-राजनगर एक्सटेंशन मार्ग	GLD03	गुलधर	9.6
14	नोयडा सेक्टर-51/52 - सिद्धार्थ विहार मार्ग	GZB01	गाजियाबाद	5.85
15	गौड़ चौक - सिद्धार्थ विहार मार्ग	GZB02	गाजियाबाद	11.5
16	लालकुंआ - नया आर्यनगर मार्ग	GZB03	गाजियाबाद	9.4
17	लालकुंआ - नवयुग मार्केट मार्ग	GZB04	गाजियाबाद	9.6

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-25/2022/1836 (1)/तीस-4-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-25/2022/1836(2)/तीस-4-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 दिसम्बर, 2022 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (ख) (परिनियत आदेश) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

लुटावन राम
विशेष सचिव

संख्या-25/2022/1836(3)/तीस-4-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन,1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
2. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यू नल़उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकरण, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राम गोपाल सिंह
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 25/2022/1836/XXX-4-2022, dated 23 December , 2022

Notification

No. 25/2022/1836/XXX-4-2022,
Lucknow : Dated 23 December , 2022

In exercise of the powers conferred under clause (ca) of sub-section (3) of section 68 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988), the Governor is pleased to formulate the routes given in the Schedule below for plying stage carriages:-

Schedule

Sl.No.	Name of Route	Route Code	Regional Rapid Transit System (RRTS) Station	Distance (in Km.)
1	Loni-Sahibabad Railway Station	SHB01	Sahibabad	10.2
2	Hindan Airport Civil Terminal- Sahibabad Railway Station	SHB01A	Sahibabad	7.6
3	Loni-Mohannagar	SHB02	Sahibabad	12.2
4	Hindan Airport Civil Terminal- Mohannagar	SHB02A	Sahibabad	9.5
5	Noida Sector-62 MRTS-Vasundhara Via CISF	SHB03	Sahibabad	5.3
6	Noida Sector-62 MRTS-Vasundhara Via Aditya Mall	SHB03A	Sahibabad	7.8
7	U.P.Gate- Sahibabad Mandi	SHB04	Sahibabad	6.3
8	U.P.Gate-Vasundhara	SHB05	Sahibabad	7.7
9	Kaushambi Bus Turminal- Sahibabad Industrial Area	SHB06	Sahibabad	5.9
10	Wave City- ALT Centre	GLD01	Guldhar	10.0
11	Dasna-ALT Centre	GLD02	Guldhar	11.5
12	Govindpuram-ALT Centre	GLD02A	Guldhar	9.4
13	Ghaziabad Railway Station-Rajnagar Extension	GLD03	Guldhar	9.6
14	Noida Sector-51/52-Siddharth Vihar	GZB01	Ghaziabad	5.85
15	Gaur Chowk-Siddharth Vihar	GZB02	Ghaziabad	11.5
16	Lalkuan-New Arya Nagar	GZB03	Ghaziabad	9.4
17	Lalkuan-Navyug Market	GZB04	Ghaziabad	9.6

By Order,

L.Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।